

23 ²/₂₆

प्राप्त) पेसा इ/ वारी वनील एउ वारी
वनील का उचितिनी अनुपस्थित है/ उकरा
25/3/25 से न्यायालय में विचारणीय है /
11 माह से लागू लागू में चल रही है /
वारी वनील के लागू पेसा वदि उरु
पूर्व में पथीत लागू व अपसा विधि
का उक्त है / CPL 1908 के अदिना उरि 2
के अनुसा उक्त लागू की लागू रपति
देने में वारी का अधिकता व अपसु रहे
के परिणत रूपसु नहीं है /

यह बाद पर रपति विचारणीय है /
CPL 1908 के अदिना उरि 5 के अनुसा
वारी लागू लागू के विचार
जो ले के पदगत लागू दिन तदु नये
लागू के विधि अपेदा वदि में
अपसु रहे है यह बाद पर रपति
विचारणीय है / बाद पर अनिगत
धारा 89, 89, 188 धारा में वारी वनील
अन्य का विनियु तदु लागू पेसा नहीं है
के उक्त आधार पर उकरा रपति विचार
णीय उचित है /

अन्य उकरा में लागू नहीं लेते है
बाद पर अनिगत धारा 89, 89, 188 धारा
वारी आधार पर रपति विचारणीय है /
उकरा वारी लागू पर उक्त उकरा
की उक्त नामा के उक्त है /

न्यायालय
[Signature]